राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2711964

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय. / शा.दर्पण / 2018–19 / 482 दिनांक : 4-1-2019

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त जिले।

विषय – शालादर्पण पोर्टल पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) प्रा.शिक्षा से कार्मिकों से संबंधित मैपिंग किये जाने के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) प्रा.शिक्षा के लॉगिन से निम्न मॉड्यूल में मैपिंग की जानी है –

1. **''प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा मे पदस्थापित लेकिन कार्यमुक्त नहीं कार्मिकों की मैपिंग'' करें** – प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित जिन अध्यापकों का सेट–अप परिवर्तन पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापन / समायोजन हो चुका है परन्तु माध्यमिक शिक्षा में नवीन पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं हुए कार्मिकों की **''प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा मे पदस्थापित कार्मिकों की मैपिंग करें''** मॉड्यूल द्वारा आपके लॉगिन से मैपिंग की जाती है। उपरोक्त मैपिंग किए हुए कार्मिकों में से जिन कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है उनकी पोर्टल पर कार्यमुक्त नहीं करने किये जाने की कारणवार मैपिंग की जानी है। जिसके लिए **''प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा मे पदस्थापित लेकिन कार्यमुक्त नहीं कार्मिकों की मैपिंग करें''** माड्यूल प्रारम्भ किया गया है। जिसमें उपलब्ध कारणों में से उचित कारण का चयन करते हुये मैपिंग की जानी है।

2. शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्व विद्यालय से कार्यमुक्त होने के पश्चात नव स्थानान्तरित / पदस्थापित विद्यालय में पोर्टल पर कार्यग्रहण की प्रतीक्षा वाले कार्मिकों की कार्यग्रहण नहीं किये जाने की कारणवार मैपिंग की जानी है। जिसके लिए **''विद्यालयो में जोइनिंग की प्रतीक्षा वाले कार्मिकों की मैपिंग करें''** माड्यूल प्रारम्भ किया गया है। जिसमें उपलब्ध कारणों में से उचित कारण का चयन करते हुये मैपिंग की जानी है।

3. काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित / समायोजित ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति / समायोजन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की अंतिम तिथि निकल चुकी है लेकिन पोर्टल पर उनके कार्यग्रहण की प्रविष्टी नहीं की गई है। उक्त कार्मिकों की कार्यग्रहण नहीं किये जाने की कारणवार मैपिंग की जानी है। जिसके लिए

www.rajteachers.com

"कार्यग्रहण की अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किए हुए अभ्यर्थियों की मैपिंग करें" माड्यूल प्रारम्भ किया गया है। जिसमें उपलब्ध कारणों में से उचित कारण का चयन करते हुये मैपिंग की जानी है।

उक्तानुसार मॉडयूलों में मैपिंग का कार्य 8.1.2018 तक पूरा करवाया जाना सुनिश्चित करावें। मैपिंग कार्य को नियत समय पर नहीं करे जाने के अभाव में होने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिये आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

www.rajteachers.com

(आभा बेनीवाल)
उपायुक्त शाला दर्पण
दिनांक : 4-1-2019

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प. / जय. / शा.दर्पण / 2018–19 / 483
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयुपर।
3. निजी सहायक, अति. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, मा.शि. / प्रा. शि, निदेशालय, बीकानेर।
5. सहायक निदेशक, शाला दर्शन, प्रा. शि, निदेशालय, बीकानेर को देकर लेख है कि उक्त मॉड्यूल में मैपिंग करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. संबंधित सीबीईओ / पीईईओ को देकर लेख है की अधीनस्थ प्रा.शिक्षा के विद्यालयों में शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति रीयल टाइम करें।
7. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त शाला दर्पण